

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-03/2018

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132/33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं monopole/narrow tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 429.87 करोड़ (चार सौ उन्नतीस करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार राज्य के अन्तर्गत पटना शहरी क्षेत्र, वैशाली, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया एवं सारण जिलों में निकटतम भविष्य में होनेवाली आधारभूत संरचना के विकास एवं उसके विस्तारीकरण के मद्देनजर बढ़ती विद्युत माँग को पूरा करने हेतु ट्रान्समिशन कम्पनी के अध्ययनोपरांत संचरण प्रणाली के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रुपये की योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित रूप से प्रस्तावित है:-

- (i) इस योजना के अन्तर्गत एक नये 220/132/33 के०भी० जी०आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र, दीघा (नयी) एवं एक 132/33 के०भी० जी०आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र बोर्ड कॉलनी, पटना में सम्बन्धित 220 के०भी० के 192 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के०भी० के 16 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) नयी संचरण लाइन का निर्माण।
- (ii) वैशाली जिला के गोरौल में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, नालंदा जिला के अस्थावाँ में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, समस्तीपुर जिला के ताजपुर में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, पलासी (अररिया) में एक नये 2x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिडसब-स्टेशन तथा सारण जिला में अवस्थित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन, एकमा का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 के०भी० के 612.20 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) एवं 132 के०भी० के 728 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित)संचरण लाइन का निर्माण।
- (iii) इसके अलावा monopole/narrow based tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 के०भी० संचरण लाइनों का निर्माण।



2. नालंदा जिले में अस्थावाँ फीडर के overload होने के कारण इस क्षेत्र की विद्युत मांग में काफी वृद्धि हुई है तथा भविष्य में और वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा किशनगंज जिले का ठाकुरगंज प्रखण्ड में चाय की फैक्ट्रियाँ अत्यधिक हैं एवं भविष्य में चावल उत्पादन होने की सम्भावना है, साथ ही निकटवर्ती पश्चिम बंगाल एवं नेपाल के लिए भी वैकल्पिक संचरण श्रोत की उपलब्धता हो जाएगी। अररिया जिले के पलासी क्षेत्र के बढ़े हुए माँगों की पूर्ति हेतु वर्तमान में अवस्थित फारबिसगंज ग्रिड सक्षम नहीं है। इसी क्रम में वैशाली जिले का गोरौल प्रखण्ड में विद्युत मांग में काफी वृद्धि हुई है तथा भविष्य में और वृद्धि होने का अनुमान है। कुल मिलाकर वर्तमान में अवस्थित ग्रिड उपकेन्द्र बढ़े हुए मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। फलस्वरूप इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती है। साथ ही लाईन की लम्बाई अधिक होने के कारण अधिक लाईन लॉस होती है और लो भोल्टेज की समस्या बनी रहती है। यदा-कदा ब्रेक-डाउन भी होते रहते हैं। अतः इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के लिए उपरोक्त ग्रिड उपकेन्द्रों की स्थापना आवश्यक है। इस योजना के अंत में पटना शहरी क्षेत्र, वैशाली, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया एवं सारण जिलों में सम्भावित 1100 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उपलब्धता हो सकेगी।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132/33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं monopole/narrow tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 429.87 करोड़ (चार सौ उन्नीस करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101, विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल०खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120- अन्य निधियाँ, उपशीर्ष- 0044- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-एल० 8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-के० 8448001200044 में जमा की जायेगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये पी०एल० खाता संख्या-PLA272 से की जायेगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र0/BSPTCL-03/2018 के पृष्ठ संख्या 11/टि0 पर दिनांक 11.07.2018 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र0/BSPTCL-03/2018 के पृष्ठ संख्या-14/टि0 पर दिनांक-18.07.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र0/BSPTCL-03/2018.

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र0/BSPTCL-03/2018. 2028

पटना, दिनांक- 24/07/2018

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।